न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 96 / 2022 / दावा 136 एलआरएक्ट

1 मालीराम पुत्र केशरीमल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ।
2 महिपाल मीणा पुत्र प्रभात कुमार मीणा जाति मीणा निवासी भोरडो का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.
3 रामकुमार बाज्या पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.
4 दिनेश बाज्या पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी मेई तहसील दांतारामगढ।
5 चन्दरी देवी पत्नि हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी मेई तहसील दांतारामगढ
6 किशनलाल पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील दांतारामगढ
7 नानुराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी धोलासरी तहसील दांतारामगढ
8 प्रभुदयाल पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील दांतारामगढ
9 मोती पुत्र नरसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज
10 राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.
11 रितु पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.
12 सीता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.
13 मोहम्मद इमरान पुत्र असगर अली जाति कायमखानी (मुस्लिम) निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.
14 इन्द्रा देवी पत्नि महेश कुमार खेतान जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.
15 सीमा खेतान धर्मपत्नि अमित खेतान जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.

— वादीगण

ब ना म

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.
2 पटवारी पटवार हल्का रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दावा बबात उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती
व धारा 136 L.R.Act

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादीगण की ओर सें।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य   दिनांक – 05.07.2022

1 वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम रामगढ पटवार हल्का रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादीगण की भुमियां जिसके ख.नं. 822/438, 827/438, 828/438, 824/438, 826/438, 825/438 अवस्थित है, जिसमें वादीगण जमाबंदी में दर्ज अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर अपने मकानात आदि बनाकर आदि निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भुमियों में भूमि ख.नं. 822/438 में वादीगण संख्या 2 ता 8 के कब्जे व हक हिस्से व अधिकार आधिपत्य की है जो उक्त सम्पुर्ण भुमियों के उतरी पश्चिमी कोने पर अवस्थित है, वादीगण जमाबंदी में दर्ज अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर अपने मकानात आदि बनाकर निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भुमियों में भूमि ख.नं. 822/438 में वादीगण संख्या 2 ता 8 के कब्जे व हक हिस्से व अधिकार आधिपत्य की है जो उक्त सम्पुर्ण भुमियों के उतरी पश्चिमी कोने पर अवस्थित है, वादीगण संख्या 2 ता 8 की भुमि ख.नं. 822/438 के ठिक पुर्व साईड में भुमि ख.नं. 827/438 है जो वादीगण संख्या 1 के कब्जे व हक हिस्से व अधिकार आधिपत्य की है तथा भुमि ख.नं. 822/438 के दक्षिण साईड व भुमि ख.नं. 827/438 के दक्षिण साईड व पुर्व साईड दोनो ओर व ख.नं. 826/438 के उतर दिशा की ओर ख.नं. 824/438 की भुमि है जो वादीगण संख्या 10, 11, 12 के कब्जे व हक हिस्से व अधिकार आधिपत्य की है, तथा उपरोक्त तीनो खसरों (822/438, 827/438, 824/438) के दक्षिण की तरफ व ख.नं. 825/438 के उतर साईड में (यानि 824/438 व 825/438 के बीच में) ख.नं. 826/438 की भुमि है जो वादीगण संख्या 13 के कब्जे व हक हिस्से व अधिकार आधिपत्य की भुमि है, तथा भुमि ख.नं. 826/438 के दक्षिण साईड व ख.नं. 828/438 के पश्चिम साईड में ख.नं. 825/438 की भुमि है जो वादीगण संख्या 14, 15 के कब्जे व हक हिस्से व अधिकार आधिपत्य की भुमि है तथा भुमि ख.नं. 826/438 व ख.नं. 825/438 के पुर्व साईड में ख.नं. 828/438 की भुमि है जो वादीगण संख्या 9 के कब्जे व हक हिस्से व अधिकार आधिपत्य की भुमि है जो उक्त भुमियों में वादीगण मौके स्थिति पर इस अनुसार काबिज है व अपने मकानात आदि बनाकर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है जो वादीगण की उक्त भुमियों का मौके स्थिति के अनुसार नक्शा इस प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

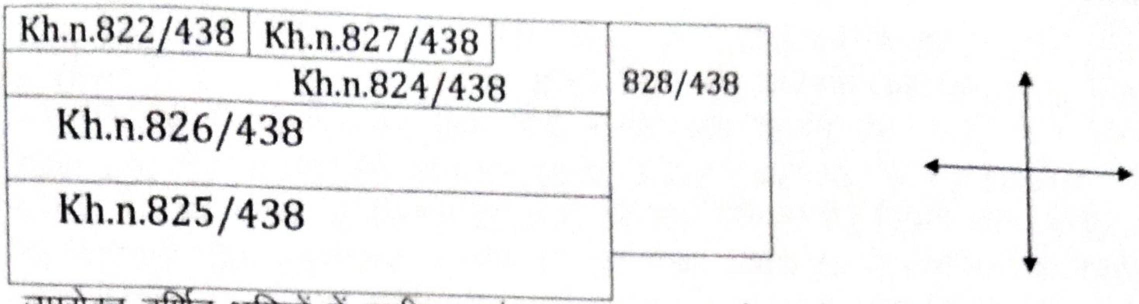

उपरोक्त वर्णित भुमियों में वादीगण संख्या 1 ता 15 अपने अपने हक हिस्से अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अनुसार काबिज है व इसी अनुसार उक्त भुमिया वादीगण संख्या 1 ता 15 की अलग अलग है लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने बना मौके स्थिति की भौतिक जानकारी व मौका स्थिति को देखे बिना ही वादीगण की उक्त भुमियों को नक्शा ट्रेस में गलती से ख.नं. 824/438 के पुर्व में 825/438 तथा 825/438 के पुर्व में 826/438 तथा 826/438 के पुर्व में 827/438 तथा उक्त तीनों ख.नं. 824/438, 825/438, 826/438 के दक्षिण की ओर 822/438 की भुमि तथा 822/438 के पश्चिम दिशा की ओर 828/438 की भुमि अंकित कर दी गई जो वर्तमान के राजस्व रिकार्ड के खसरा नक्शा में दर्ज है अंकित कर दिया गया जो मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार नहीं होकर गलत अंकन है, वादीगण की उक्त भुमियों का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में गलत अंकन कर दिया गया जो मौके की भौतिक व वास्तविक स्थिति के अनुसार सही नहीं है जिसका वादीगण नक्शा ट्रेस में संशोधन करवाने के अधिकारी है। वाद कारण अर्सा करीब 5–7 रोज पुर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय में उक्त नक्शे ट्रेस में मौका स्थिति के अनुसार दुरूस्ती करवाने के लिए गये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त दुरूस्ती करने से साफ इंकार कर दिये जाने से पैदा हुआ तब से वाद कारण क्षण प्रतिक्षण रूप से निरन्तर रूप से चालु है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 822/438, 827/438, 828/438, 824/438, 826/438, 825/438 वाके ग्राम रामगढ पटवार हल्का रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादग्रस्त भूमियों में नक्शा ट्रेश मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति के बनाये गये गलत नक्शे को संशोधित किया जाकर मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति के अनुसार नक्शा ट्रेश कायम करवाने की उदघोशणा की जावें व तदनुसार नक्शा ट्रेश में संशोधन किया जावें।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीगण का वादग्रस्त भूमियों में नक्शा ट्रेश मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति के बनाये गये गलत नक्शे को संशोधित किया जाकर मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति के अनुसार नक्शा ट्रेश कायम करवाने की उदघोशणा की जावें व तदनुसार नक्शा ट्रेश में संशोधन किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम रामगढ के आराजी ख.नं. 438 रकबा 0.98 है0 का सहमति विभाजन आदेश क्रमांक 2607–08/भू.अ./23.06.99 की पालना में नामा. संख्या 88 दिनांक 28.08.99 को दर्ज स्वीकार है। जिसमें ख.नं. 438/2 की खातेदारी मोती पुत्र नरसा के नाम दर्ज है। नामा. संख्या 88 में विभाजन का नक्शा नामा. मण्डल की पुस्त पर अंकित है। नामा. संख्या 98 किस्म सम्परिवर्तन के द्वारा ख.नं. 438/2 रकबा 0.22 है. में से गै.मु. आबादी 0.03 चाही द्वितीय 0.19 है. दिनांक 18.12.94 के द्वारा दर्ज स्वीकार है। जिसका नक्शा आदेश संपरिवर्तन क्रमांक 160–64/राजस्व/98 दिनांक 20.04.98 नामा. की पुस्क पर चस्पा है। जिसमें संपरिवर्तन रकबा को नक्शे में दर्शाया गया है। जरिये नामा. संख्या 124 बेचान दिनांक 25.11.2000 के द्वारा ख.नं. 438/2 रकबा 0.22 में से 0.01 है. गै.मु. आबादी का विक्रय से दो बटटा नम्बर डाले गये जो कि 438/2/1 रकबा 0.01 गै.मु. आबादी, 438/2/2 रकबा 0.21 (चाही 0.19 गै.मु. आबादी 0.02) दर्ज स्वीकार है। विशेष :– नामा. की पुस्त पर बटटा नम्बर (नजरी नक्शा) का कोई उल्लेख नहीं है। जरिये नामा. से 186 बेचान दिनांक 20.10.2003 के द्वारा दर्ज स्वीकार है। जिसमें 438/2/2 के चार बटटा नम्बर डाले गये जो कि 438/2/2/2 रकबा 0.09 किस्म चाही–2, 438/2/2/1 रकबा 0.05 किस्म (चाही 0.04 गै.मु. आबादी 0.01) 438/2/2/3 रकबा 0.05 किस्म चाही 2, 438/2/2/4 रकबा 0.02 किस्म (चाही 0.01 गै.मु. आबादी 0.01) दर्ज स्वीकार है। विशेषः– नामा. की पुस्त पर बटटा नम्बर (नजरी नम्बर) का कोई उल्लेख नहीं है। जरिये नामा. संख्या 214 बेचान दिनांक 20.08.2004 के द्वारा दर्ज स्वीकार है। जिसमें ख.नं. 438/2/2/4 रकबा 0.02 किस्म (चाही 0.01 गै.मु. आबादी 0.01) के दो बटटा नम्बर डाले गये जो कि 438/2/2/4 मीन रकबा 0.01 गै.मु. आबादी व 438/2/2/4 मीन रकबा 0.01 किस्म चाही 2 दर्ज हुआ। विशेषः– नामा. की पुस्त पर बटटा नम्बर (नजरी नक्शा) का कोई उल्लेख नही है। रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह ध्यान में आया कि ख.नं. 438/2 रकबा 0.22 है. का रूपान्तरकरण, बेचान आदि से छः (6) नये ख.नं. डाले गये थे। जिनके विवरण/कम्पयुटरकृत रिकार्ड होने से ख.नं. बदले गये जिनका विवरण जरिये मिलान क्षैत्रफल इस प्रकार है।

हाल			साबिक		
ख.नं.	रकबा	किस्म	ख.नं.	रकबा	किस्म
822/438	0.01	गै.मु. आ.	438/2/1	0.01	गै.मु. आ.
827/438	0.01	गै.मु. आ.	438/2/2/4	0.01	गै.मु. आ.
828/438	0.01	चाही 2	438/2/2/4	0.01	चाही 2
824/438	0.05	चाही 2 (0.04) गै.मु.आ. (0.01)	438/2/2/1	0.05	चाही 2 (0.04) गै.मु.आ. (0.01)
826/438	0.05	चाही 2	438/2/2/3	0.05	चाही 2
825/438	0.09	चाही 2	438/2/2/2	0.09	चाही 2

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि समयरिवर्तन का नामा. जो दर्ज स्वीकार है। उसमें नक्शा संलग्न है। जिसके अनुसार रूपान्तरकरण ख.नं. 438 / 2 रकबा 0.22 में से 0.03 गै.मु. आबादी सम्परिवर्तीत हुई जो कि उक्त ख.नं. के उतरी सीमा पर हुई है। जिसका नजरी नक्शा बिन्दू संख्या 03 पर स्पष्ट है लेकिन अलग से बटटा नम्बर नहीं डाले गये है। मौके पर वर्तमान स्थिति इस प्रकार है जिसको नजरी नक्शा के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है।

<table>
<tr><td>822 / 438</td><td>827 / 438</td><td rowspan="2">824 / 438</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">826 / 438</td><td rowspan="2">828 / 438</td></tr>
<tr><td colspan="2">825 / 438</td></tr>
</table>

उपरोक्त मौके व रिकार्ड के अध्ययन के बाद मौके के अनुसार तरमीम करने की अभिशंषा की जाती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 822 / 438, 827 / 438, 828 / 438, 824 / 438, 826 / 438, 825 / 438 वाके ग्राम रामगढ पटवार हल्का रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादग्रस्त भूमियों में गलत नक्शा ट्रेश के स्थान पर वादीगण की उपरोक्त भूमियों में मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति के अनुसार नक्शा ट्रेश कायम कर तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॅार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/7/22

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर
इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

मालीराम बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 96 / दावा सन् 2022 निर्णय दिनांक 05.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी श्री हरदेवाराम सुण्डा मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 822 / 438, 827 / 438, 828 / 438, 824 / 438, 826 / 438, 825 / 438 वाके ग्राम रामगढ पटवार हल्का रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के वादग्रस्त भूमियों में गलत नक्शा ट्रेश के स्थान पर वादीगण की उपरोक्त भूमियों में मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति के अनुसार नक्शा ट्रेश कायम कर तरमीम संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.07.2022 को जारी की गई।

5/7/22

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
दस्तखत ओहदा

मोहर

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ